Act/Rules

परिशिष्ट – १

(45)

बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

824
23/5/11

विषय:- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 में विभिन्न सम्वर्गों के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है साथ ही राज्य के अन्तर्गत अधिप्राप्ति का कार्य भी निगम के द्वारा किया जा रहा है । निगम के कार्य संचालन हेतु कर्मियों के नियुक्ति की कोई नियमावली पूर्व से गठित नहीं है, जिस कारण निगम में आवश्यकता आधारित स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति में कठिनाई दृष्टिगोचर हुई है । राज्य सरकार की मंशा "खाद्य सुरक्षा योजना" को लागू करने की है । "खाद्य सुरक्षा योजना" एवं अन्य योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए निगम की स्थापना को सुदृढ़ करना एवं इस हेतु निगम में विभिन्न सम्वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना आवश्यक है ।

2. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के निदेशक पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निगम में विभिन्न सम्वर्गों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा के लिए "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद" को प्राधिकृत किये जाने पर मंत्रिपरिषद् की बैठक, दिनांक 09.02.2011 के मद संख्या 28 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 द्वारा विभिन्न सम्वर्गों के रोस्टर के अनुरूप आरक्षण कोटिवार विभिन्न कोटि के रिक्तियों की अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को उपलब्ध कराई जाएगी एवं पर्षद द्वारा अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण कोटिवार निर्धारित अर्हता के योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर चयनित अभ्यर्थियों का पैनल निगम को अनुशंसित किया जायेगा ।

3. अतएव बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के विभिन्न सम्वर्गों के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र3विविध-नि0-25/2010 1698 दिनांक- 23.2.2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (सी0डी0 संलग्न) ।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र0विविध-नि0-25/2010 1098 दिनांक- 23.2.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, राज भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र0विविध-नि0-25/2010 1098 दिनांक- 23.2.2011

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.02.2011 के मद संख्या 28 के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव